




फर्द अहकाम

B.D. मेमोरीयल बनाम कोपीराइट वर्क

Aem (P) शाहपुर

5/2020

आज्ञा या संवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3123	<p>उगड़ी उपर में मोंका निरीक्षण कर बंधनार के नियमों के अनुसार खाते परांतु के मात रूप दिखे अनुसार आपावकन हेतु राखे की ध्यान में रखते हुए बंधनार प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख फेब्री से पूर्व निष्काग सुनिश्चित करें। पगावली वाले प्राप्त होने बंधनार प्रस्ताव हेतु दिनांक 19/4/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  A.C. & E.M. (F.T.) SHAH PURA (JAIPUR), </p>	
19/4/23	<p>उपरोक्त पत्र उपस्थित/अभिप्रायक सच ने न्यायिक कार्य रथांतर पूरा/20. सखब अन्य प्रशासनिक कार्य के लिए कर्मचारी को पेश करने पगावली मत आदेशानुसार दि. 22/6/23 को पेश करें।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (शाहपुर) </p>	
22/6/23	<p>वकील काठी उपर। केंद्र विभाग में पगावली पेश हुई। तदनुसार शाहपुर से प्राप्त कुर्रणत रिपोर्ट पर वकील काठी को सुना गया। वकील काठी ने कुर्रणत रिपोर्ट सही होना जाहिर करते हुए बाबा अहम डिकी छिसे जाते का डिपेंडेंस दिया। पगावली का अवलोकन किया कुर्रणत रिपोर्ट सही होने के पना अहम डिकी दिया जाता है। अधिका अधिका से लिखाया जात सुनाया गया। पगावली फुलल सुधार होत बाकील रफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिल्ला-जयपुर) राज. </p>	

मूल दाव में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

गिन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
संख्या :- 5/2023

शीर्षक

बी.डी. मेमोरियल कल्याण संस्थान, कृष्णा कॉलोनी खातीपुरा रोड जयपुर जरिये कोषाध्यक्ष अमित कुमार बुडानिया आयु 45 वर्ष पुत्र श्री अर्जुनसिंह बुडानिया जाति जाट, निवासी डी-1, के-5, कृष्णा कॉलोनी, खातीपुरा रोड जयपुर जिला जयपुर राज0।

-वादीगण

बनाम

गोपीराम पुत्र छोटू
धूणाराम पुत्र मांगू
प्रभुदयाल पुत्र साधुराम
रामकुंवार पुत्र साधुराम
सूरजमल पुत्र छोटू

- समस्त वयस्क, जाति अहिर, निवासी खोरी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
यूको बैंक शाखा देवन जरिये शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा देवन, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर
राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरी तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व ओरियन्टल बैंक ऑफ कामसी) शाखा शाहपुरा, जिला जयपुर जरिये
शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा-शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
0. यूको बैंक शाखा-शाहपुरा, जरिये शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा-शाहपुरा, जिला जयपुर
1. उपपंजीयक अधिकारी शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 22/6/2023

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम
1 तह0 शाहपुरा जयपुर के हाल आराजी ख0नं0 557/2543 रकबा 2.61 है0 कुल कित्ता 1 कुल
ग 2.61 है0 भूमि के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार
त किया जाता है -

- बीडी मेमोरियल कल्याण संस्थान निवासी खातीपुरा रोड जयपुर कोषाध्यक्ष अमित कुमार पुत्र अर्जुन सिंह कौम जाट सा. डी-1/के-5 कृष्णा कॉलोनी खातीपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 557/2543/1 रकबा 0.6250 है0 भूमि रहेगी।
- गोपीराम पुत्र छोटू हिस्सा 49/397 जाति अहीर राहिन यूको बैंक शाखा देवन, धूणा पुत्र मांगू हि0 261/794 जाति अहीर राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा खोरी, प्रभुदयाल पुत्र साधुराम यादव हि0 87/793 जाति अहीर राहिन आर.एम.जी.बी.खोरी, रामकुंवार यादव पुत्र साधुराम यादव हि0 87/397 जाति अहीर राहिन ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा शाहपुरा, सूरजमल पुत्र छोटू हि0 87/397 जाति अहीर राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 557/2543/2 रकबा 1.9850 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें।

निर्णय आज दिनांक 22/6/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे डिक्री से सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
शाहपुरा जिला जयपुर

माद के खर्चे

माद	प्रतिवादी	रूपया
माद		
माद		

शीर्षक

बी.डी. मेमोरियल कल्याण संस्थान, कृष्णा कॉलोनी खातीपुरा रोड जयपुर जरिये कोषाध्यक्ष अमित कुमार बुडानिया आशु 45 वर्ष पुत्र श्री अर्जुनसिंह बुडानिया जाति जाट, निवासी डी-1, के-5, कृष्णा कॉलोनी, खातीपुरा रोड जयपुर जिला जयपुर राज0।

-वादीगण

बनाम



1. गोपीराम पुत्र छोदू
2. धूणाराम पुत्र मांगू
3. प्रभुचयाल पुत्र साधूराम
4. रामकुंवार पुत्र साधूराम
5. सूरजमल पुत्र छोदू

- समस्त वयरक, जाति अहिर, निवासी खोरी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
1. यूको बैंक शाखा देवन जरिये शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा देवन, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर
2. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरी तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
3. पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स) शाखा शाहपुरा, जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा-शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
4. यूको बैंक शाखा-शाहपुरा, जरिये शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा-शाहपुरा, जिला जयपुर
10. उपपंजीयक अधिकारी शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 22/6/2023

वाद संक्षेप इस प्रकार है कि आ0ख0नं0 557/2543 रकबा 2.61 है0 ग्राम खोरी तहसील पुरा के 125/522 भाग का वादी, 49/552 भाग का प्रतिवादी सं0-1 व 1/4 भाग का प्रतिवादी -2 व 1/12 भाग का प्रतिवादी सं0-3 व 1/6 भाग का प्रतिवादी सं0-4 व 1/6 भाग का वादी सं0-5 खातेदार काश्तकार है, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी ने उपर्युक्त हाल खसरा नंबर 557/2543 रकबा 2.61 है0 के प्रतिवादी सं0-1 के 1/6 भाग में से 38/87 ति कुल का हिस्सा 19/261 व पूर्व खातेदार गोदाराम उर्फ गोवर्धन का हिस्सा 1/6 भाग सम्पूर्ण कुल 0.6250 है0 भूमि हाल आ0ख0नं0 558/1 से लगती हुई दक्षिण दिशा की तरफ की को मय स्त हक, हकूक एवं हक मालिकाना एवं खातेदारी अधिकारों सहित मय पूला, पानी, मेढ, बोल, सोल ादि के प्रतिफल राशि अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.04.2018 को खरीद कर जा प्राप्त किया है जिस पर वादी का खरीद के समय से कब्जा चला आ रहा है वादी की उपर्युक्त गेदशुदा भूमि से लगते हुए उत्तर की तरफ हाल खसरा नंबर 558/1 रकबा 0.75 है0 ग्राम खोरी की तेदारी वादी के नाम जरिये सदस्य सुमित कुमार बुडानिया राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है।

वादी अपनी खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 558/1 व उससे लगती हुई दक्षिण में स्थित हाल सरा नंबर 557/2543 के उत्तरी 125/522 भाग पर काबिज रहकर काश्त व उसका बिना किसी या के पूर्ण रूप से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है जिससे प्रतिवादीगण या अन्य किसी का कोई बंध अधिकार व कब्जा नहीं है। हाल आ0ख0नं0 557/2543 रकबा 2.61 है0 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण सं0-1 लगायत 5 के नाम वाद पत्र की खण्ड की सं0-2 में वर्णित रसे के अनुसार सहखातेदारी में दर्ज है व सम्मिलित खातेदारी की भूमि होने से प्रतिवादीगण ने वादी विरुद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व वादी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन दखल कर स्वयं जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका कानूनन उनको कोई अधिकार नहीं है। वादी अपनी उपर्युक्त भूमि व इसके लगते हुये उत्तर में स्थित वादी की अन्य खातेदारी भूमि खसरा नंबर 58/1 की अर्सा-3 रोज पूर्व देखरेख कर रहा था कि प्रतिवादीगण संगठित व एकराय होकर वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वादी ने उपर्युक्त भूमि उसकी खरीदशुदा व गेदशुदा होना कथन करते हुये उक्त अनुसार कानूनी बंटवारा कराने हेतु कहा तो उससे भी इनकार ले गये व बिना बंटवारा कराये आराजी के वादी के कब्जे व विशिष्ट भू-भाग को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण करने व उसका स्थानान्तरण डीड प्रतिवादी सं0-10 के कार्यालय में सहायक कलेक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

करवाने व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाने व भूमि में पुष्टा निर्माण कार्य करने की धमकी दी इसलिये वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 557/2543 रकबा 2.61 हे० ग्राम खोरी, तह० शाहपुरा जिला जयपुर में वादी के हिस्सा 125/522 भाग का कानूनी बंटवारा कराया जाकर वादी की खरीदशुदा उत्तरी तरफ की 0.6250 हे० भूमि वादी के बंटवारे में दी जाकर उसका पृथक से राज लगान निर्धारण कराया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। बाद नोटिस तामिल प्रतिवादी संख्या 06 व 09 उपस्थित हुये शेष प्रतिवादीगण की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई, जो कि समयावधि एक माह व्यतित होने के बाद भी उपस्थित नहीं आये, इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 29.03.2023 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 06 व 09 के द्वारा प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू०अ०/2023/1551 दिनांक 02.06.2023 से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बंटवारा कुर्रजात पर वकीलवादी को सुना गया। वकीलवादी ने बंटवारा कुर्रजात अनुसार वादपत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम खोरी तह० शाहपुरा जयपुर के हाल आराजी ख०न० 557/2543 रकबा 2.61 हे० कुल किता 1 कुल रकबा 2.61 हे० भूमि के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

1. बीडी मेमोरियल कल्याण संस्थान निवासी खातीपुरा रोड जयपुर कोषाध्यक्ष अमित कुमार पुत्र अर्जुन सिंह कौम जाट सा. डी-1/क-5 कृष्णा कॉलोनी खातीपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 557/2543/1 रकबा 0.6250 हे० भूमि रहेगी।
2. गोपीराम पुत्र छोटू हिस्सा 49/397 जाति अहीर राहिन यूको बैंक शाखा देवन, धूणा पुत्र मांगू हि० 261/794 जाति अहीर राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा खोरी, प्रभुदयाल पुत्र साधुराम यादव हि० 87/793 जाति अहीर राहिन आर.एम.जी.बी.खोरी, रामकुमार यादव पुत्र साधुराम यादव हि० 87/397 जाति अहीर राहिन ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा शाहपुरा, सुरजमल पुत्र छोटू हि० 87/397 जाति अहीर राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 557/2543/2 रकबा 1.9850 हे० भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। उदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। प्रादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे पर किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी। पत्रावली फैसल पार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 22/6/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन शीमा)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

